

मोनेटरी एंड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिव्यू



एमसीआईआर

खंड XX

अंक 12

मार्च 2025



विषय-वस्तु

खंड	पृष्ठ
I. मौद्रिक नीति	1
II. विनियमन	1-3
III. सरकार का ऋण प्रबंधक	3
IV. मुद्रा जारीकर्ता	4
V. प्रकाशन	4
VI. जारी आंकड़े	4



संपादक की कलम से

इस अंक में, हम बैंकिंग क्षेत्र में ग्राहक सेवा को बेहतर बनाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं। हम सुरक्षित और कुशल वित्तीय पारितंत्र सुनिश्चित करने के लिए फिनटेक और भुगतान प्रणाली सहभागियों के लिए जिम्मेदार नवाचार और सख्त विनियामक अनुपालन के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। हमारा ध्यान प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र, सुव्यवस्थित केवाईसी प्रक्रियाओं और डिजिटल धोखाधड़ी जोखिमों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के माध्यम से ग्राहक अनुभव को मजबूत करने पर रहता है।

आरबीआई में, हम पारदर्शिता और विश्वास पर आधारित ग्राहक-केंद्रित वित्तीय पारितंत्र को बढ़ावा देने के लिए समर्पित हैं। हम विश्वसनीय जानकारी साझा करने और सभी हितधारकों के साथ सार्थक रूप से जुड़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

एमसीआईआर को <https://mcir.rbi.org.in> पर और साथ ही क्यूआर कोड को स्कैन करके देखा जा सकता है। हम आपकी प्रतिक्रिया का mcir@rbi.org.in पर स्वागत करते हैं।

पुनीत पंचोली
संपादक

I. मौद्रिक नीति

मौद्रिक नीति समिति की बैठकों की समय-सारणी

रिज़र्व बैंक ने 26 मार्च 2025 को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45जेडआई के अनुसार, यह निर्णय लिया कि 2025-26 के दौरान मौद्रिक नीति समिति की बैठकें निम्नलिखित तिथियों पर आयोजित की जाएंगी:

2025-26 के लिए मौद्रिक नीति समिति की बैठकों की तिथियां

पहली	7-9 अप्रैल 2025
दूसरी	4-6 जून 2025
तीसरी	5-7 अगस्त 2025
चौथी	29-30 सितंबर और 1 अक्तूबर 2025
पाँचवीं	3-5 दिसंबर 2025
छठी	4-6 फरवरी 2026

II. विनियमन

गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने चुनिंदा गैर-बैंक भुगतान प्रणाली परिचालकों और फिनटेक के साथ बैठक की

गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 5 मार्च 2025 को गैर-बैंक भुगतान प्रणाली परिचालकों और फिनटेक के साथ-साथ उनके संघों/ एसआरओ के साथ वार्तालाप की। यह वार्तालाप भुगतान और फिनटेक पारितंत्र के साथ रिज़र्व बैंक की सहभागिता की श्रृंखला का एक हिस्सा थी। इस बातचीत में उप गवर्नर श्री एम. राजेश्वर राव, श्री टी. रवी शंकर और श्री स्वामीनाथन जे. के साथ-साथ भुगतान, फिनटेक और विनियमन के प्रभारी कार्यपालक निदेशक भी शामिल हुए। गवर्नर ने अपने भाषण में भारत की वित्तीय प्रणाली और अर्थव्यवस्था की संवृद्धि में भुगतान प्रणाली के सहभागियों, लेखा समेककों, डिजिटल ऋण सेवा प्रदाताओं सहित फिनटेक द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की। गवर्नर ने जिम्मेदार नवाचार की आवश्यकता को रेखांकित किया और विनियामक क्षेत्र में नई संस्थाओं द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि रिज़र्व बैंक पारितंत्र के सहभागियों के साथ इस तरह की वार्तालाप को महत्वपूर्ण मानता है और परामर्शात्मक दृष्टिकोण अपनाना जारी रखेगा। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया [यहाँ](#) क्लिक करें।

आरबीआई ओम्बड्समैन का वार्षिक सम्मेलन

रिज़र्व बैंक ने 17 मार्च 2025 को मुंबई में आरबीआई ओम्बड्समैन का वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन का विषय था "शिकायत निवारण में परिवर्तन: एआई का लाभ"। इसमें प्रमुख बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, गैर-बैंक भुगतान प्रणाली संचालकों, साख सूचना कंपनियों के प्रबंध निदेशकों और सीईओ, आरबीआई ओम्बड्समैन तथा रिज़र्व बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। श्री संजय मल्होत्रा, गवर्नर ने श्री स्वामीनाथन जे., उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यपालक निदेशकों और सम्मेलन के प्रतिभागियों की उपस्थिति में सम्मेलन का उद्घाटन किया। गवर्नर ने अपने उद्घाटन भाषण में पिछले कतिपय वर्षों में बैंकिंग सेवाओं में सुधार की दिशा में की गई महत्वपूर्ण प्रगति पर प्रकाश डाला। तथापि, उन्होंने ग्राहक अनुभव को उल्लेखनीय रूप से बेहतर बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया, ताकि शिकायत निवारण की किसी भी आवश्यकता को समाप्त किया जा सके। उन्होंने विनियमित संस्थाओं से अपने स्तर पर शिकायतों का प्रभावी ढंग से निवारण करने और आरबीआई ओम्बड्समैन के पास शिकायतों के आने से बचने के लिए अपने आंतरिक शिकायत निवारण ढांचे को मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने केवाईसी प्रक्रियाओं में सुधार तथा विशेष रूप से डिजिटल धोखाधड़ी के बारे में ग्राहकों की जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया [यहाँ](#) क्लिक करें।

भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय मंडल की 614वीं बैठक

भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की 614वीं बैठक 21 मार्च 2025 को तिरुवनंतपुरम में श्री संजय मल्होत्रा, गवर्नर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। मंडल ने भू-राजनीतिक और वित्तीय बाजार की गतिविधियों और संबंधित चुनौतियों सहित उभरते वैश्विक और घरेलू आर्थिक परिदृश्य का आकलन किया। इसके अलावा, मंडल ने चालू लेखा वर्ष 2024-25 के दौरान रिज़र्व बैंक की गतिविधियों पर चर्चा की। बोर्ड ने लेखा वर्ष 2025-26 के लिए बैंक के बजट को भी मंजूरी दी। उप गवर्नर श्री एम. राजेश्वर राव, श्री टी. रवी शंकर, श्री स्वामीनाथन जे. और केंद्रीय मंडल के अन्य निदेशक - श्री सतीश के. मराठे, श्रीमती रेवती अय्यर, प्रो. सचिन चतुर्वेदी और डॉ. रवींद्र एच. ढोलकिया ने बैठक में भाग लिया।

गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने चुनिंदा शहरी सहकारी बैंकों के अध्यक्षों और एमडी एवं सीईओ के साथ बैठक की

गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 19 मार्च 2025 को देश के विभिन्न भागों में संचालित सभी स्तरों के चुनिंदा शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के अध्यक्षों, प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यपालक अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उद्योग निकायों, यथा नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनयूसीएफडीसी) तथा नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक एंड क्रेडिट सोसाइटीज़ लिमिटेड (एनएफसीयूबी) के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। यह बैठक रिज़र्व बैंक की अपनी विनियमित संस्थाओं के साथ सहभागिता की शृंखला के एक भाग के रूप में थी। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया [यहाँ](#) क्लिक करें।

एमएसएमई को ऋण प्रवाह की समीक्षा के लिए स्थायी सलाहकार समिति की 29वीं बैठक

रिज़र्व बैंक ने 3 मार्च 2025 को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को ऋण प्रवाह की समीक्षा करने के लिए स्थायी सलाहकार समिति (एसएसी) की 29वीं बैठक 3 मार्च 2025 को अहमदाबाद में श्री स्वामीनाथन जे, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक की अध्यक्षता में आयोजित की। उप गवर्नर ने अपने मुख्य भाषण में, भारत के आर्थिक विकास में एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस (यूएलआई), अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क और विनियामक सैंडबॉक्स जैसी पहलों के माध्यम से संस्थागत ऋण सहायता को मजबूत करने के लिए रिज़र्व बैंक की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। वित्तीय साक्षरता अंतराल, सूचना विषमता और विलंबित भुगतान जैसी प्रमुख चुनौतियों के साथ उन्होंने डिजिटल समाधान, बैंकलपिक ऋण मूल्यांकन मॉडल और TReDS जैसे प्लेटफार्मों में अधिक सहभागिता की आवश्यकता पर बल दिया। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया [यहाँ](#) क्लिक करें।

बड़े आकार की गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का सम्मेलन

रिज़र्व बैंक ने 28 मार्च 2025 को चेन्नई में बड़े आकार की गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए एक सम्मेलन आयोजित किया, जिसका विषय था "साझा दृष्टिकोण, साझा उत्तरदायित्व: एनबीएफसी को सुदृढ़ करना"। इस कार्यक्रम में 200 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें लेखा परीक्षा समितियों के अध्यक्ष, एमडी एवं सीईओ और एनबीएफसी के सांविधिक लेखा परीक्षक शामिल थे। श्री स्वामीनाथन जे, उप गवर्नर, रिज़र्व बैंक तथा श्री चरणजोत सिंह नंदा, अध्यक्ष, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) ने प्रतिभागियों को संबोधित किया। रिज़र्व बैंक के विनियामक, पर्यवेक्षी और

प्रवर्तन कार्यों के प्रभारी कार्यपालक। निदेशकों ने भी सम्मेलन में भाग लिया। श्री स्वामीनाथन, उप गवर्नर ने विवेकपूर्ण जोखिम लेने, उधार देने में निष्पक्षता और मजबूत शिकायत निवारण तंत्र के महत्व पर जोर दिया, साथ ही लेखा परीक्षकों से कठोर मानकों को बनाए रखने का आग्रह किया। श्री चरणजोत सिंह नंदा, अध्यक्ष, आईसीएआई ने सनदी लेखाकारों की भूमिका और उनके क्षमता संवर्धन में संस्थान की पहलों, खासकर लेखा परीक्षा के लिए प्रौद्योगिकी अपनाने पर प्रकाश डाला। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया [यहाँ](#) क्लिक करें।

समामेलन योजना

रिज़र्व बैंक ने 7 मार्च 2025 को जवाहर सहकारी बैंक लिमिटेड, हुपरी का कल्लप्पन्ना अवाडे इचलकरंजी जनता सहकारी बैंक लिमिटेड के साथ सामामेलन की योजना को मंजूरी दी। इस योजना को बैंकारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 44ए की उप-धारा (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मंजूरी दी गई है। यह योजना 10 मार्च 2025 (सोमवार) से लागू होगी। जवाहर सहकारी बैंक लिमिटेड, हुपरी की सभी शाखाएँ 10 मार्च 2025 से कल्लप्पन्ना अवाडे इचलकरंजी जनता सहकारी बैंक लिमिटेड की शाखाओं के रूप में कार्य करेंगी।

लेखा समेकक पारितंत्र के लिए स्व-विनियामक संगठन

रिज़र्व बैंक ने 12 मार्च 2025 को "लेखा समेकक पारितंत्र (एसआरओ-एए) के लिए स्व-विनियमन संगठन(नों) को मान्यता प्रदान करने हेतु फ्रेमवर्क" जारी किया। यह फ्रेमवर्क, एसआरओ-एए से संबंधित विशेषताओं, उत्तरदायित्वों, पात्रता मानदंडों, अभिशासन संबंधी पहलुओं आदि की व्यापक रूपरेखा प्रदान करता है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया [यहाँ](#) क्लिक करें।

इंडसइंड बैंक लिमिटेड पर वक्तव्य

रिज़र्व बैंक ने 15 मार्च 2025 को स्पष्ट किया कि इंडसइंड बैंक अच्छी तरह से पूंजीकृत और वित्तीय रूप से स्थिर बना हुआ है, जिसका पूंजी पर्याप्तता अनुपात 16.46%, प्रावधान कवरेज अनुपात 70.20% और 9 मार्च 2025 तक 113% का चलनिधि कवरेज अनुपात है। बैंक किसी भी संभावित समस्या का आकलन करने और उसका समाधान करने के लिए एक बाहरी लेखा परीक्षा टीम द्वारा व्यापक समीक्षा से गुजर रहा है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2025 की चौथी तिमाही के अंत तक सुधारात्मक कार्रवाई पूरी की जाएगी। रिज़र्व बैंक ने आश्वासन दिया कि जमाकर्ताओं के बीच चिंता का कोई कारण नहीं है, क्योंकि बैंक की वित्तीय स्थिति स्थिर है और उस पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया [यहाँ](#) क्लिक करें।

एनबीएफसी के विरुद्ध कार्रवाई

तीन गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) ने 17 मार्च 2025 को भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा उन्हें जारी किए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) को अभ्यर्पित किया। अतः रिज़र्व

बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उनके सीओआर को निरस्त कर दिया। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया [यहाँ](#) क्लिक करें।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दस कंपनियों के पंजीकरण प्रमाणपत्र को निरस्त कर दिया। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया [यहाँ](#) क्लिक करें।

एमओयू- द्विपक्षीय लेनदेन के लिए स्थानीय मुद्राएं

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) और बैंक ऑफ़ मॉरीशस (बीओएम) ने सीमापारीय लेन-देन के लिए स्थानीय मुद्राओं, अर्थात् भारतीय रुपया (आईएनआर) और मॉरीशस रुपया (एमयूआर) के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु एक ढांचा स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। इस समझौता ज्ञापन पर श्री संजय मल्होत्रा, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक और डॉ. राम कृष्ण सिथेनन जी.सी.एस.के., गवर्नर, बैंक ऑफ़ मॉरीशस ने हस्ताक्षर किए। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया [यहाँ](#) क्लिक करें।

प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र संबंधी दिशानिर्देश

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 24 मार्च 2025 को हितधारकों से प्राप्त प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए मौजूदा प्रावधानों की व्यापक समीक्षा के बाद आज प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएसएल) पर संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं। 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाले नए दिशानिर्देशों में निम्नलिखित प्रमुख परिवर्तन शामिल हैं:

- अधिक पीएसएल कवरेज के लिए आवास ऋण सहित कई ऋण सीमाओं में वृद्धि,
- उन उद्देश्यों को व्यापक बनाना जिनके आधार पर ऋणों को 'नवीकरणीय ऊर्जा' के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है,
- यूसीबी के लिए समग्र पीएसएल लक्ष्य को संशोधित कर समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) या तुलन-पत्रेतर एक्सपोज़र के समतुल्य ऋण (सीईओबीएसई), जो भी अधिक हो, का 60 प्रतिशत किया जाना।
- 'कमजोर वर्गों' की श्रेणी के अंतर्गत पात्र उधारकर्ताओं की सूची का विस्तार करना, साथ ही यूसीबी द्वारा प्रत्येक महिला लाभार्थियों को दिए जाने वाले ऋण पर मौजूदा सीमा को हटाना।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए पूंजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण मानदंड

रिज़र्व बैंक ने 25 मार्च 2025 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के लिए पूंजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण मानदंडों पर मास्टर निदेश, 2025 जारी किया, जिसमें सभी पिछले दिशानिर्देशों, अनुदेशों और निदेशों को समेकित किया गया। इस मास्टर निदेश में आवश्यक संशोधनों और युक्तिकरणों के साथ मौजूदा मानदंडों को शामिल किया गया है। इसे बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते जारी किया गया है, ताकि आरआरबी को पूंजी पर्याप्तता दिशानिर्देशों के लिए एकीकृत संदर्भ प्रदान किया जा सके। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया [यहाँ](#) क्लिक करें।

स्वर्ण मुद्रीकरण योजना (जीएमएस), 2015 – संशोधन

रिज़र्व बैंक ने 25 मार्च 2025 को स्वर्ण मुद्रीकरण योजना संबंधी मास्टर निदेश में संशोधन किया और अद्यतन प्रावधान 26 मार्च 2025 को प्रभावी होंगे, जो सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) पर लागू होंगे। भारत सरकार ने 26 मार्च 2025 से स्वर्ण मुद्रीकरण योजना (जीएमएस) के मध्यावधि और दीर्घावधि सरकारी जमा (एमएलटीजीडी) घटकों को बंद करने का निर्णय लिया है। इस तिथि से, निर्दिष्ट संग्रह और शुद्धता परीक्षण केंद्रों

(सीपीटीसी), जीएमएस मोबिलाइजेशन, संग्रह और परीक्षण एजेंटों (जीएमसीटीए), या बैंक शाखाओं में एमएलटीजीडी घटक के लिए कोई भी स्वर्ण जमा स्वीकार नहीं किया जाएगा। हालाँकि, बैंक अपने विवेक पर जीएमएस के तहत अल्पावधि बैंक जमा (एसटीबीडी) प्रदान कर सकते हैं। 25 मार्च 2025 से पहले जुटाए गए मौजूदा एमएलटीजीडी, मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार मोचन तक जारी रहेंगे। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया [यहाँ](#) क्लिक करें।

सरकारी गारंटीकृत प्रतिभूति प्राप्ति (एसआर) के लिए संशोधित मानदंड

रिज़र्व बैंक ने 29 मार्च 2025 को ऋण एक्सपोज़र के हस्तांतरण संबंधी मास्टर निदेश (एमडी-टीएलई), 2021 के अंतर्गत सरकारी गारंटीकृत प्रतिभूति प्राप्ति (एसआरएस) के मानदंडों को संशोधित किया, ताकि भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत एसआर के लिए एक अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जा सके। यदि किसी ऋण को उसके निवल बही मूल्य से अधिक के लिए आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी (एआरसी) को हस्तांतरित किया जाता है और यदि लाभ पूरी तरह से नकद और सरकार समर्थित एसआरएस में है, तो अतिरिक्त प्रावधान को लाभ और हानि खाते में वापस किया जा सकता है। हालाँकि, नकद से इतर एसआर घटकों को सीईटी 1 पूंजी से काट लिया जाएगा और उनसे कोई लाभान्श नहीं दिया जाएगा। इन एसआर का मूल्यन एआरसी द्वारा घोषित निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) के आधार पर किया जाएगा और अप्राम लाभ की भी कटौती सीईटी 1 पूंजी से की जाएगी। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया [यहाँ](#) क्लिक करें।

III. सरकार का ऋण प्रबंधक

अस्थिर दर वाले बॉण्ड 2033

रिज़र्व बैंक ने 21 मार्च 2025 को 22 मार्च 2025 से 21 सितंबर 2025 की अवधि के लिए लागू भारत सरकार अस्थिर दर वाले बॉण्ड 2033 (जीओआई एफ़आरबी 2033) संबंधी व्याज दर की घोषणा की। घोषणा के अनुसार, जीओआई एफ़आरबी 2033 की व्याज दर 7.81 प्रतिशत प्रति वर्ष होगी। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया [यहाँ](#) क्लिक करें।

भारत सरकार की अर्थोपाय अग्रिम सीमा

भारत सरकार के परामर्श से 27 मार्च 2025 को यह निर्णय लिया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली छमाही (अप्रैल से सितंबर 2025) के लिए अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) की सीमा ₹1,50,000 करोड़ होगी।

जब भारत सरकार अर्थोपाय अग्रिम सीमा के 75 प्रतिशत का उपयोग कर लेगी तब भारतीय रिज़र्व बैंक नए बाजार ऋणों को जारी कर सकता है। अर्थोपाय अग्रिम/ ओवरड्राफ्ट पर व्याज दर निम्नानुसार होगी:

- अर्थोपाय अग्रिम: रेपो दर
- ओवरड्राफ्ट: रेपो दर से दो प्रतिशत अधिक। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया [यहाँ](#) क्लिक करें।

विपणन योग्य दिनांकित प्रतिभूति

रिज़र्व बैंक ने 27 मार्च 2025 को भारत सरकार के परामर्श से वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली छमाही (1 अप्रैल 2025 से 30 सितंबर 2025) के लिए सॉवरेन हरित बॉण्ड (एसजीआरबी) सहित सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों के निर्गम हेतु सांकेतिक कैलेंडर अधिसूचित किया। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया [यहाँ](#) क्लिक करें।

खजाना बिल की नीलामी

रिज़र्व बैंक ने 27 मार्च 2025 को भारत सरकार के परामर्श से जून 2025 को समाप्त तिमाही के लिए खजाना बिल के निर्गम हेतु कैलेंडर अधिसूचित किया। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया [यहाँ](#) क्लिक करें।

IV. करेंसी जारीकर्ता

₹2000 मूल्यवर्ग के बैंक नोटों को संचलन से वापस लेना

रिज़र्व बैंक ने 1 अप्रैल 2024 को ₹2000 मूल्यवर्ग के बैंक नोटों को वापस लेने संबंधी स्थिति जारी की। आंकड़ों के अनुसार, 31 मार्च 2025 को कारोबार की समाप्ति पर संचलन में मौजूद ₹2000 के बैंक नोटों का कुल मूल्य घटकर ₹6,366 करोड़ रह गया। इस प्रकार, 19 मई 2023 तक संचलन में मौजूद ₹2000 के बैंक नोटों में से 98.21 प्रतिशत वापस आ चुके हैं। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया [यहाँ](#) क्लिक करें।

V. प्रकाशन

आरबीआई बुलेटिन

रिज़र्व बैंक ने 19 मार्च 2025 को अपने मासिक बुलेटिन का मार्च 2025 अंक जारी किया। बुलेटिन में चार भाषण, पाँच आलेख और वर्तमान सांख्यिकी शामिल हैं। पाँच आलेख इस प्रकार हैं:

- अर्थव्यवस्था की स्थिति;
 - मानसून का स्थानिक वितरण और कृषि उत्पादन;
 - भारत के विप्रेषणों की बदलती गतिकी - भारत के विप्रेषण सर्वेक्षण के छठे दौर से अंतर्दृष्टि;
 - उत्सर्जन से आर्थिक संवृद्धि को अलग (डिकपलिंग) करना: एक एलएमडीआई अपघटन विश्लेषण; और
 - बाजार पहुंच और आईएमएफ व्यवस्था: विश्व भर से साक्ष्य।
- विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया [यहाँ](#) क्लिक करें।

भारत: वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन कार्यक्रम, 2024

वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन कार्यक्रम (एफएसएपी), आईएमएफ और विश्व बैंक की एक संयुक्त पहल है, जो हर पाँच वर्ष में प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्राधिकारों के वित्तीय क्षेत्रों का मूल्यांकन करती है, जिसमें भारत भी शामिल है। आईएमएफ द्वारा भारत के लिए नवीनतम वित्तीय प्रणाली स्थिरता मूल्यांकन (एफएसएसए) 28 फरवरी 2025 को जारी किया गया था, जो 2024 में किए गए मूल्यांकन पर आधारित था, जबकि विश्व बैंक की वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन (एफएसए) रिपोर्ट जल्द ही आने की उम्मीद है। आईएमएफ की रिपोर्ट में 2017 में पिछले एफएसएपी के बाद से भारत की वित्तीय प्रणाली की आघात-सहनीयता और विविधीकरण पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें पिछले संकट से उबरने और वित्तीय क्षेत्र की महामारी का सामना करने की क्षमता का उल्लेख किया गया है। इसने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए भारत के विनियामक दृष्टिकोण की सराहना की, विशेष रूप से बड़ी एनबीएफसी के लिए बैंक जैसी चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) की शुरूआत की और मजबूत पर्यवेक्षण के माध्यम से बैंकों के लिए ऋण जोखिम प्रबंधन को बढ़ाने की सिफारिश की। रिपोर्ट में कॉरपोरेट ऋण बाजार विकास निधि और निवेशक संरक्षण उपायों सहित प्रतिभूति बाजार विनियमन में सुधार की जानकारी दी गई तथा वित्तीय समावेशन को बढ़ाने वाले डिजिटल बुनियादी ढांचे में प्रगति पर जोर दिया गया। बीमा क्षेत्र को उसकी मजबूती के लिए जाना गया, जिसमें जोखिम प्रबंधन और अभिशासन में प्रगति और जोखिम-आधारित शोधन क्षमता ढांचे की दिशा में आगे के कदमों की सिफारिश की गई। रिपोर्ट में मैक्रोप्रूडेंशियल प्राधिकारियों के लिए प्राथमिक उद्देश्य के रूप में वित्तीय स्थिरता के महत्व को भी रेखांकित किया गया और साइबर सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन जैसे उभरते जोखिमों की पहचान की गई। आईएमएफ द्वारा जारी एफएसएसए को निम्नलिखित लिंक के माध्यम से देखा जा सकता है:

<https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2025/02/28/India-Financial-SectorAssessment-Program-Financial-System-Stability-Assessment-562815>

VI. जारी आंकड़े

मार्च 2025 माह के दौरान रिज़र्व बैंक द्वारा जारी महत्वपूर्ण आंकड़े निम्नानुसार हैं:

क्रम सं	शीर्षक
1	दिनांक 7 मार्च 2025, शुक्रवार तक भारत में अनुसूचित बैंकों की स्थिति का विवरण
2	फरवरी 2025 के लिए समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश
3	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की ऋण और जमा व्याज दरें - मार्च 2025
4	बैंक ऋण का क्षेत्रवार अभिनियोजन - फरवरी 2025
5	फरवरी 2025 माह के लिए भारत के अंतर्राष्ट्रीय सेवा व्यापार संबंधी मासिक आंकड़े
6	विदेशी प्रत्यक्ष निवेश कंपनियों का वित्त, 2023-24
7	अप्रैल-दिसंबर 2024 के दौरान भारत के विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों में परिवर्तन के स्रोत

मॉनेटरी एंड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिव्यू के संबंध में स्वामित्व और अन्य विवरणों के बारे में विवरण फॉर्म IV

प्रकाशन का स्थान	मुंबई
प्रकाशन की आवधि	मासिक
संपादक, प्रकाशक और मुद्रक का नाम	पुनीत पंचोली
राष्ट्रीयता	भारतीय
पता	भारतीय रिज़र्व बैंक संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई 400001
उन व्यक्तियों के नाम और पते जिनके पास समाचार पत्र का स्वामित्व है	भारतीय रिज़र्व बैंक संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई 400001

मैं, पुनीत पंचोली, एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि ऊपर दिए गए विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य हैं।

ह/-
पुनीत पंचोली
प्रकाशक का नाम
31 मार्च 2025